

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 223

Date: 27/6/25

Certified that the **Shri Hanwant Senior Seondary English Medium School Chopasni, Khasara No. 63 Chopasni Jagir Chopasni Dispensary Aadesh street Chopasni campus Jodhpur South Jodhpur .** Comprised of **Block 01, Basement Ground Floor & Frist Floor** owned/occupied by **Shri Hanwant Senior Seondary English Medium School Chopasni, Khasara No 63 Chopasni Jagir Chopasni Jodhpur.** (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rule s, and verified by the officers concerned of Fire Service on 21/06/2025 (date of inspection) in the presence of Principal **Col. Jaidev Singh Rathore Shri Hanwant Senior Seondary English Medium School Chopasni, Khasara No 63 Chopasni Jagir Chopasni Jodhpur.** and that the building/premises is fit for occupancy class Nursery to XII with effect from 27/06/2025 a period of Two Year for in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended:

- 1.
- 2.
- 3.

Issued on 27/06/2025 (date of issue) at **Rajasthan** by **CFO**

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal

Name

Designation

Name & Address of Department/ Office

To.....

(Name & Address of institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

(reason to be recorded)

(Name and designation of the authorized signatory)

नगर निगम, जोधपुर दक्षिण

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/JODHPUR SOUTH/FIRENOC/2024-25/46289
जारी दिनांक: 27-JUN-2025 वैधता दिनांक: 26-JUN-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: COL.JAIDEV SINGH RATHORE
आवेदक का पता: NEAR AADESH SAFA STREET CHOPASNI SCHOOL
JODHPUR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHREE HANWANT SENIOR SECONDARY ENGLISH MEDIUMSCHOOL, KHASRA NO 63, CHOPASNI DISPENSARY AADESH STREET CHOPASNI CAMPUS, CHOPASNI, JODHPUR SOUTH, JODHPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलोरेट्री गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंका पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Signed by: Jalaj Ghasia
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: JODHPUR SOUTH, Rajasthan
Date: 27/06/2025 13:07:18

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जोधपुर दक्षिण